समाचार

निगम ने की अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही

कोरबा 16 फरवरी 2016 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आज पुनः अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पंप हाउस कालोनी स्थित वाल्मिकी आवास योजना के मकानों के समीप किए गए अतिक्रमण को हटाया गया तथा निगम द्वारा स्थापित हैण्डपंप को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए उसे सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराया गया।

निगम के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी श्री योगेश राठौर ने बताया कि पंप हाउस कालोनी बाल्मिकी आवासगृह के समीप स्थित हनुमान मंदिर के पास के स्थल पर स्थित हैण्डपंप को बाउण्ड्रीवाल बनाकर अंदर कर लिया गया था, अवैध रूप से किए गए उक्त बाउण्ड्रीवाल के निर्माण को आज अतिक्रमण दस्ते द्वारा तोड़ कर हटा दिया गया तथा वहां पर स्थित हैण्डपंप को सार्वजनिक उपयोग हेतु अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

<u>अवैध कब्जे व अतिक्रमण को प्रोत्साहन न दें</u>– आयुक्त श्री अजय कुमार अग्रवाल ने अपील करते हुए कहा है कि नगर निगम कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अवैध कब्जे व अतिक्रमण को प्रोत्साहन न दिया जाए। निगम द्वारा अवैध कब्जे व अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। अतः किसी भी प्रकार का अतिक्रमण व अवैध कब्जा न करें तथा अतिक्रमण को हटाने के परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।

<u>भ्रमण के दौरान अवैध कब्जों पर नजर रखें</u>– आयुक्त श्री अजय कुमार अग्रवाल ने निगम के जोन कमिश्नरों, राजस्व अधिकारियों, अभियंताओं व मैदानी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में भ्रमण के दौरान अतिक्रमण व अवैध कब्जे पर सतत नजर रखें तथा जहां कही भी नया अतिक्रमण किया जा रहा हो उसकी तत्काल सूचना अतिक्रमण दस्ता प्रभारी को दें। उनहोने दस्ता प्रभारी श्री योगेश राठौर को कड़े निर्देश दिए है कि नया

अतिक्रमण व अवैध कब्जा की जानकारी प्राप्त होते ही उसे हटाने हेतु त्वरित रूप से आवश्यक कार्यवाही करें तथा यह सुनिश्चित करे कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत कही पर भी अतिक्रमण व अवैध कब्जा न होने पाए।

.)